



कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2020-21

दिनांक : 03.11.2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

माध्यमिक शिक्षा

विषय : पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति (कक्षा 9 व 10) बजट आवंटन।

प्रसंग : शासन उप सचिव प्रथम शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग के पत्र क्रमांक-प.19(2) शिक्षा-6/2013 जयपुर, दिनांक 17.08.2020 एवं इस कार्यालय का पत्रांक शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2020-21 दिनांक 18.08.2020।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति (कक्षा 9 से 10) के वर्ष 2019-20 के विद्यार्थियों हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन केन्द्रीय सहायता का वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्नांकित को उनके द्वारा की गई मांग के आधार पर लेखामद 2202-02-107-06-02 13 केन्द्रीय सहायता में उनके सामने अंकितानुसार बजट प्रत्याहरित कर आवंटित किया जाता है :- (राशि रूपों में)

क्र.सं.	जिला का नाम	ऑफिस आई.डी.	राशि जो प्रत्याहरित की जानी है	अति. बजट आवंटन
1	HANUMANGARH	3282	75375	-
2	BIKANER	3735	2625	-
3	DHOLPUR	7576	750625	-
4	KARALI	8055	811500	-
5	SIKAR	11216	125	-
6	NAGPUR	12261	13125	-
7	JODHPUR	13122	1301625	-
8	JAISALMER	13291	136125	-
9	BARMER	13976	175125	-
10	SIROHI	14800	1500	-
11	JHALAWAR	22087	2500	-
12	BANSWARA	21127	-	3270250
TOTAL			3270250	3270250

(अखरे रूपये बत्तीस लाख सत्तर हजार दौ सौ पचास मात्र)

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।
2. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों/दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
3. छात्रवृत्ति की राशि का वितरण सम्बन्धित द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि सीधे जमा करवाई जावे।
4. अतिरिक्त राशि का आवंटन सम्बन्धित के द्वारा की गई मांग के आधार पर किया गया है। वंचित रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण आवंटित बजट से उनके बैंक खातों में किया जावे।
5. किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को आंशिक भुगतान नहीं किया जावे।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2020-21
प्रतिलिपि :-

दिनांक : 03.11.2020

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
4. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, _____
5. लेखाधिकारी बजट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी,(योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
7. प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।



वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर



कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2020-21

दिनांक : 05.11.2020

**समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा**

विषय : पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति (कक्षा 9 व 10) बजट आवंटन।
प्रसंग : शासन उप सचिव प्रथम शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग के पत्र क्रमांक प.19(2) शिक्षा-6/2017 जयपुर, दिनांक 14.09.2020 एवं इस कार्यालय का पत्रांक शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2020-21 दिनांक 17.09.2020, 23.09.2020।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति (कक्षा 9 से 10) के वर्ष 2019-20 के विद्यार्थियों हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन केन्द्रीय सहायता का वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्नांकित को उनके द्वारा की गई मांग के आधार पर लेखामद 2202-02-107-05-02 13 केन्द्रीय सहायता में उनके सामने अंकितानुसार बजट प्रत्याहरित कर आवंटित किया जाता है :- (राशि रूपयों में)

क्र.सं.	जिला का नाम	ऑफिस आई.डी.	राशि जो प्रत्याहरित की जानी है	अति. बजट आवंटन
1	HANUMANGARH	3282	6000	-
2	BIKANER	3735	279000	-
3	DHOLPUR	7576	2000	-
4	JAISALMER	13291	21000	-
5	BARMER	13976	398125	-
6	AJMER	16289	6000	-
7	TONK	16781	495000	-
8	BUNDI	17137	2106000	-
9	DUNGARPUR	20897	294000	-
10	BARAN	21800	3000	-
11	JHALAWAR	22087	2250	-
12	PRATAPGARH	22191	1728000	-
13	ALWAR	6452	-	1998000
14	NAGPUR	12261	-	1998000
15	BANSWARA	21127	-	1344375
TOTAL			5340375	5340375

(अखरे रूपये तरेपन लाख चालीस हजार तीन सौ पच्चहत्तर मात्र)

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।
2. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों/दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
3. छात्रवृत्ति की राशि का वितरण सम्बन्धित द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि सीधे जमा करवाई जावे।
4. अतिरिक्त राशि का आवंटन सम्बन्धित के द्वारा की गई मांग के आधार पर किया गया है। वंचित रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण आवंटित बजट से उनके बैंक खातों में किया जावे।

5. किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को आंशिक भुगतान नहीं किया जावे।

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2020-21

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
4. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, _____
5. लेखाधिकारी बजट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी,(योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
7. प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।



वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक : 03.11.2020



वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2020-21

दिनांक : 03.11.2020

1. निदेशक, प्रारम्भिक/संस्कृत शिक्षा
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा

विषय : पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग (कक्षा 06 से 10) बजट आवंटन।

प्रसंग : शासन उप सचिव प्रथम शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग के पत्र क्रमांक-एफ.1(14)शिक्षा-1/2004/पार्ट II जयपुर, दिनांक 02.07.2020 एवं 21.09.2020।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग (कक्षा 06 से 10) के वर्ष 2020-21 के लाभार्थियों को केन्द्रीय सहायता का आवंटन वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्नानुसार निदेशक प्रारम्भिक/संस्कृत शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारियों माध्यमिक (मुख्यालय) को लेखामद **2202-02-107-07-00-13** राज्य मद/केन्द्रीय सहायता मद में उनके सामने अंकितानुसार बजट आवंटित किया जाता है

:-

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	जिला का नाम	ऑफिस आई.डी.	राज्य निधि		केन्द्रीय सहायता		कुल राशि
			विद्यार्थियों की संख्या	आवंटित राशि	विद्यार्थियों की संख्या	आवंटित राशि	
1	AJMER	16289	1650	16.50	1650	16.50	33.00
2	ALWAR	6452	1900	19.00	1900	19.00	38.00
3	BANSWARA	21127	650	6.50	650	6.50	13.00
4	BARAN	21800	800	8.00	800	8.00	16.00
5	BARMER	13976	3300	33.00	3300	33.00	66.00
6	BHARATPUR	7236	1050	10.50	1050	10.50	21.00
7	BHILWARA	17971	4350	43.50	4350	43.50	87.00
8	BIKANER	3735	1750	17.50	1750	17.50	35.00
9	BUNDI	17137	850	8.50	850	8.50	17.00
10	CHITTAURGARH	21402	2300	23.00	2300	23.00	46.00
11	CHURU	4492	1600	16.00	1600	16.00	32.00
12	DAUSA	8914	900	9.00	900	9.00	18.00
13	DHAULPUR	7576	1800	18.00	1800	18.00	36.00
14	DUNGARPUR	20897	800	8.00	800	8.00	16.00
15	HANUMANGARH	3282	1250	12.50	1250	12.50	25.00
16	JAIPUR	10196	2700	27.00	2700	27.00	54.00
17	JAISALMER	13291	200	2.00	200	2.00	4.00
18	JALORE	14459	1550	15.50	1550	15.50	31.00
19	JHALAWAR	22087	1450	14.50	1450	14.50	29.00
20	JHUNJHUNUN	5349	1150	11.50	1150	11.50	23.00

21	JODHPUR	13122	1600	16.00	1600	16.00	32.00
22	KARALI	8055	1050	10.50	1050	10.50	21.00
23	KOTA	21597	750	7.50	750	7.50	15.00
24	NAGPUR	12261	2600	26.00	2600	26.00	52.00
25	PALI	15571	1600	16.00	1600	16.00	32.00
26	PRATAPGARH	22191	450	4.50	450	4.50	9.00
27	RAJSAMAND	18401	1600	16.00	1600	16.00	32.00
28	S.MADHOPUR	8468	900	9.00	900	9.00	18.00
29	SIKAR	11216	1500	15.00	1500	15.00	30.00
30	SIROHI	14800	850	8.50	850	8.50	17.00
31	SRI GANGANAGAR	2735	1050	10.50	1050	10.50	21.00
32	TONK	16781	850	8.50	850	8.50	17.00
33	UDAIPUR	20688	2300	23.00	2300	23.00	46.00
34	ELEMENTARY EDU.	1558	17500	175.00	17500	175.00	350.00
35	SANSKRIT EDU.	958	1000	10.00	1000	10.00	20.00
TOTAL			67600	676.00	67600	676.00	1352.00

(अखरे रूपये तेरह करोड़ बावन लाख मात्र)

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।
2. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों/दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
3. छात्रवृत्ति की राशि का आहरण जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों हेतु किया जावे एवं राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा करवाई जावे।
4. राशि का आवंटन वर्ष 2020-21 के विद्यार्थियों हेतु किया गया है। अतः वर्ष 2020-21 के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण आवंटित बजट से उनके बैंक खातों में किया जावे।
5. किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को आंशिक भुगतान नहीं किया जावे।



वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक : 03.11.2020

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2020-21
प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उप सचिव, प्रथम शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर।
3. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
4. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, _____
5. लेखाधिकारी बजट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
7. प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।



वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर